कार्यालय जिला परिषद, टोंक

क्रमांकः जिपटो/संस्था/2025/ई–फाईल नं.00308 **दिनांक यथाहस्ताक्षर**

आदेश

पंचायतीराज विभाग, जयपुर के राजकाज पत्रांक 3512736 दिनांक 28.03.2023 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, 2021 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को टोंक जिला आवंटन कर 110 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करवायी जाकर नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रदान प्रदान किये गये थे। उक्त निर्देशों की पालना में जिला स्थापना समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 05.04.2023 के प्रस्ताव संख्या 01 में अनुमोदन लिया जाकर जिला परिषद, टोंक के आदेश क्रमांक जिपटों/संस्था/ग्रा.वि.अ.सीधी भर्ती–2021/चयन आदेश/2023/632 दिनांक 05.04.2023 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, 2021 अन्तर्गत 110 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे।

पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्रांक 1101 दिनांक 28.06.2023 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, 2021 में दिव्यांगजन श्रेणी में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगजता की मेडिकल जांच जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से कराये जाने के निर्देश प्राप्त होने पर जिला परिषद, टोंक के पत्रांक 950 दिनांक 07.07.2023 द्वारा 04 दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों (2-BLV, 1-HI, 1-LDCP) की मेडिकल दल गठन करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को पत्र लिखे जाने के उपरान्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सआदत चिकित्सालय टोंक के पत्रांक 1763 दिनांक 01.08.2023 द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाकर उक्त दिव्यांजन अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु संबंधित विकास अधिकारी को पत्र लिखा जाकर संबंधित दिव्यांगजन अभ्यर्थी श्री विजय चौधरी (बीएलवी), श्री शारूख खान (बीएलवी), श्री सीताराम चौधरी (एचआई) एवं श्री विनोद सैनी (एलडीसीपी) को मेडिकल बोर्ड के समक्ष मय ओरिजनल दिव्यांगजन प्रमाण पत्र के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक के पत्रांक 1810 दिनांक 07.08.2023 द्वारा उक्त अभ्यर्थियों का गठित मेडिकल बोर्ड से जांच करवायी जाकर रिपोर्ट पेश की जिसमें 1. श्री विनोद सैनी (कैटेगरी–एलडीसीपी) को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र 43 प्रतिशत दर्शाया है रिपोर्ट में सही पाया है। 2. श्री शारूख खान (कैटेगरी–बीएलवी) एवं 3. श्री विजय चौधरी (कैटेगरी–बीएलवी) को ऑपथेलमिक बोर्ड को रैफर किया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक के पत्रांक 1827 दिनांक 10.08.2023 द्वारा 4. श्री सीताराम चौधरी (कैटेगरी–एचआई) को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र 51 प्रतिशत दर्शाया है रिपोर्ट में सही पाया गया है।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक के पत्रांक 1809 दिनांक 07.08.2023 द्वारा श्री शारूख खान पुत्र अलादीन खान एवं श्री विजय चौधरी पुत्र रामधन चौधरी का मेडिकल बोर्ड द्वारा आंखों की विकलांगता की जांच की गई जिसमें उपरोक्त अभ्यर्थियों की विकलांगता संदेहास्पद पाई गई है जिसकी पुष्टि करने हेतु ऑपथेलमिक बोर्ड (नैत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा) राय की आवश्यक महसूस किये जाने हेतु अधीक्षक, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, संलग्नचिकित्सालय, अजमेर के यहां मेडिकल बोर्ड का गठन कर, मेडिकल जांच करवाने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में कार्यालय अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर के पत्रांक 15129 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अभ्यर्थी श्री विजय चौधरी एवं श्री शारूख खान की मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट मूल ही पत्रांक 11647 दिनांक 04.10.2023 द्वारा प्रमुख

Signature Not Verified

Digitally signed by Parshu Ram Dhanka
Designation : Chief Executive Officer
Date: 2026.01.31 09:45:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20225239

चिकित्सा अधिकारी, टोंक को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाने की सूचना एवं उक्त दोनो अभ्यर्थियो की रिपोर्ट की छाया प्रति इस कार्यालय को भिजवायी गयी। उक्त रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने एवं ना ही रिपोर्ट में पात्र/अपात्रता की टिप्पणी अंकित नहीं होने के कारण जिला परिषद, टोंक के पत्रांक 2464 दिनांक 04.01.2024 एवं पत्रांक 3088 दिनांक 21.03.2024 द्वारा उक्त अभ्यर्थी श्री विजय चौधरी एवं श्री शारूख खान की दिव्यांगजन प्रमाण पत्र की जांच करवाये जाने हेतु चिकित्सा अधीक्षक, सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को मेडिकल बोर्ड का गठन किये जाने हेतु पत्र लिखा गया। जिसके उपरान्त **चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के पत्रांक 1808 दिनांक 23.04.2024 द्वारा उक्त दोनो अभ्यर्थियों (श्री विजय चौधरी की दिव्यांगता 30 प्रतिशत है, जो निर्धारित मापदण्ड 40 प्रतिशत से कम होने के कारण अपात्र एवं श्री शारूख खान की दिव्यांगता निल (0 प्रतिशत) है, जो निर्धारित मापदण्ड 40 प्रतिशत से कम होने के कारण अपात्र है) की दिव्यांगता निर्धारित मापदण्ड से कम प्राप्त होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर** ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, 2021 अन्तर्गत जारी विज्ञापन संख्या 04/2021, विज्ञप्ति क्रमांक प.14(83)RSSB/अर्थना/ग्राम वि.अ./सीधी भर्ती/2021 /986 दिनांक 06.09.2021 के अनुसार विशेष नोट के बिन्दू संख्या 12– विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए निर्धारित मापदण्ड उल्लेख किया गया उप बिन्दू संख्या a(2) – Permanent Visual Imparment 40 to 70% निर्धारण किया गया है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के पत्रांक 1808 दिनांक 23.04.2024 के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, 2021 में दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों 01. श्री विजय चौधरी पुत्र श्री रामधन चौधरी के दिव्यांगता की जांच उपरान्त दिव्यांगता 30 प्रतिशत एवं 02. श्री शारूख खान पुत्र श्री अलादीन खान के दिव्यांगता की जांच उपरान्त दिव्यांगता "शून्य" प्रतिशत होने पर उक्त भर्ती की विज्ञप्ति की शर्तो के मापदण्ड में नही आते है। जिला परिषद, टोंक के पत्रांक 792 दिनांक 04.04.2025, 1527 दिनांक 22.07.2025 एवं 2435 दिनांक 11.11.2025 द्वारा उक्त अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र संशोधन/निरस्त किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को पत्र लिखा गया। जिसके क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्रांक 99 दिनांक 16.12.2025 द्वारा श्री विजय चौधरी का संशोधित दिव्यांग प्रमाण पत्र (SAP/2018/984729/AMD/30072025) के 30 प्रतिशत कर भिजवाया गया एवं श्री शारूख खान पुत्र श्री अलादीन की दिव्यांगता शून्य प्रतिशत होने से विकलांगता प्रमाण पत्र (SAP/2021/1148690) को निरस्त किये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, 2021 अन्तर्गत उक्त दोनो अभ्यर्थी श्री विजय चौधरी एवं श्री शारूख खान को विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करने के कारण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में अपात्र होने पर जिला स्थापना समिति की बैठक कार्यवाही दिनांक 29.01.2026 के प्रस्ताव संख्या 02 में लिये गये निर्णयानुसार जिला परिषद, टोंक के आदेश क्रमांक जिपटों/संस्था/ग्रा.वि.अ.सीधी भर्ती–2021/चयन आदेश/2023/632 दिनांक 05.04.2023 द्वारा चयनित अभ्यर्थी श्री विजय चौधरी (रैंक नं. 19417, रोल नं. 237390) एवं श्री शारूख खान (रैंक नं. 20301, रोल नं. 250815) को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर किये गये चयन आदेश एवं पश्चातवर्ती समस्त आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर सेवा से पृथक किया जाता है।

(परशुराम धानका)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Parshu Ram Dhanka
Designation : Chief Executive Officer
Date: 2026.01.31 09:45:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20225239

क्रमांकः जिपटो/संस्था/2025/ई–फाईल नं.00308 **दिनांक यथाहस्ताक्षर**

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान–जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान् प्रशासक महोदया, जिला परिषद, टोंक।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदया, टोंक।
5. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, टोंक।
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
8. उपखण्ड अधिकारी, टोंक/मालपुरा।
9. प्रशासक, पंचायत समिति टोंक/मालपुरा जिला टोंक।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोंक/मालपुरा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें साथ ही संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार वसूली एवं कानूनी कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करना सुनिश्चित करें, विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।
11. श्री विजय चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति, मालपुरा एवं श्री शारूख खान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोंक।
12. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Parshu Ram Dhanka
Designation : Chief Executive Officer
Date: 2026.01.31 09:45:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20225239